



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E-mail : registrar@ccsuniversity.ac.in

NAAC A++

Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक :- आर0ओ0 / 2006 / 2026-27

दिनांक :- 25.10.2026

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की विज्ञप्ति दिनांक 25 अक्टूबर 2026 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महर्षि वाल्मिकी जयंती के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीया कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- प्राचार्य/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- उपकुलसचिव/समस्त सहायक कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- समस्त कर्मचारी/पदाधिकारी कर्मचारी संगठन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।




कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2026

विज्ञाति

सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)-2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 द्वारा वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके प्रस्तर-2(II) निर्बन्धित अवकाशों की सूची के क्रमांक 24 पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया है।

2 - इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त लिये गए निर्णय के आलोक में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिनांक 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट ऐक्ट 1881 के अधीन नहीं होगा।

3 - तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अवकाश घोषित करने के संबंध में विज्ञप्ति संख्या-671/तीन-2025-39(2)-2016 दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त विज्ञप्ति दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

Digitally signed by
RANJANA VERMA, DN: cn=RANJANA VERMA, o=GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH, ou=GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH, email=ranjana.verma@uttarakhand.gov.in, c=IN

(एस0वी0एस0 रंगा राव)

प्रमुख सचिव।

लखनऊ - उत्तर प्रदेश शासन ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 26 अक्टूबर सोमवार को घोषित किया सार्वजनिक अवकाश।  
स्कूल, कॉलेज कल बंद रहेंगे।